बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–4/आ0 वि0 (संधा0)–01–02/2017– 163

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0)

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

कटिहार।

पटना, दिनांक– 20.03.18

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति +2 आवासीय उच्च विद्यालय, नीमा, कटिहार के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में 25,00,000/–(पच्चीस लाख रु0) मात्र की राशि का अतरिक्त आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आबंटनादेश संख्या–09 दिनांक–22.05.2017 द्वारा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित–15 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि आवंटित की गई थी। जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–156 दिनांक–21.02.2018 द्वारा की गई अतिरिक्त राशि की मॉग के आलोक में +2 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, नीमा, कटिहार के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल **25,00,000/–(पच्चीस लाख रु0) मात्र** की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0004–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या–44–2225022770004 कूट संख्या 21.01–सामग्री एवं पूर्तियॉ, अंतर्गत विकलनीय है।

3– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार होंगे। संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण, पूर्णियाँ इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

4– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98 एवं पत्रांक– एम0–4–05/98–2607/बि(2) दिनांक–20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5– व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेंगे।

6– सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 20/3/18

निदेशक।

ज्ञापांकः–4 / आ0 वि0 (संधा0)– 01–02 / 2017– 163 पटना, दिनांक – 20.03.18

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / कोषागार पदाधिकारी, कटिहार / उप कोषागार पदाधिकारी, कटिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल / जिला पदाधिकारी, कटिहार / उप विकास आयुक्त, कटिहार / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पूर्णियाँ / आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 20/3/18